- **वित्तीय संसाधन :**
  - ❒ भारत सरकार का अंशदान - 75 प्रतिशत
  - ❒ राज्य सरकार का अंशदान - 25 प्रतिशत
- **मिशन प्रबंधन :**
  - ❒ **राज्य स्तर पर :**
    - अ. शासी परिषद् - माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में।
    - ब. कार्यकारिणी समिति - परिषद् - मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में।
  - ❒ **निकाय स्तर पर :**
    - अ. कार्यकारिणी समिति - आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अध्यक्षता में।

एस.एन. मिश्रा
प्रमुख सचिव
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

संजय कुमार शुक्ल
आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास

जे.पी. आइरीन सिंतिया
अपर आयुक्त एवं सह मिशन संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास

संपर्क

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, शिवाजी नगर भोपाल-462016
दूरभाष क्र. 0755-2559819, टेली फैक्स क्र. 0755-2552591
वेबसाइट : www.mpurban.gov.in

- **सम्बन्धित नगरपालिक निगम/ नगर पालिका / नगर परिषद**

मध्यप्रदेश माध्यम/2014
मुद्रण : बॉक्स कॉरगेटर्स एण्ड ऑफसेट प्रिंटर्स

शहरी गरीबों के लिए नया सवेरा

"राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन"

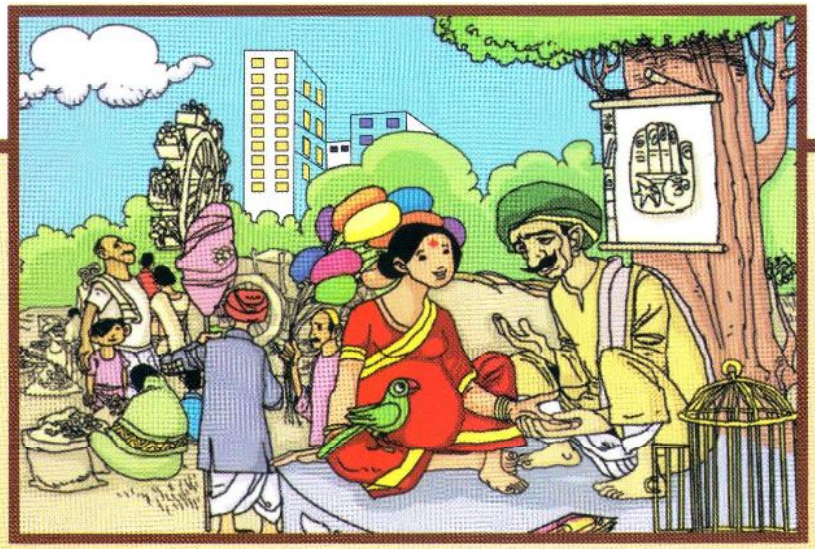

भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन एवं स्थानीय नगरीय निकायों की संयुक्त पहल

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन

भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए "राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन" का संचालन किया जा रहा है। यह मिशन क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मिशन के अन्तर्गत बेघर नागरिकों को आश्रय तथा आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करायी जाएगी। पथ विक्रेताओं की समस्याओं को दूर करते हुए, समुचित स्थानों पर हॉकर्स कॉर्नर विकसित किये जाएंगे साथ ही यह मिशन बेघर लोगों को आश्रय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा।

योजना में मध्यप्रदेश के कुल – 55 निकाय सम्मिलित किये गये हैं :

इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रतलाम, देवास, सतना, मुरैना, रीवा, भिण्ड, कटनी, सिंगरौली, बुरहानपुर, खण्डवा, छिन्दवाड़ा, गुना, शिवपुरी, दमोह, विदिशा, छतरपुर, मंदसौर, खरगौन, नीमच, अनूपपुर, होशंगाबाद, बैतूल, दतिया, बालाघाट, सीहोर, सिवनी, टीकमगढ़, धार, शाजापुर, शहडोल, अशोकनगर, मण्डला, हरदा, श्योपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, बड़वानी, सीधी, रायसेन, आगर, राजगढ़, झाबुआ, अलीराजपुर, उमरिया, डिंडोरी, पीथमपुर, नागदा, इटारसी, डबरा।

योजना का प्रारंभ : यह योजना अक्टूबर, 2013 से प्रारम्भ की गयी है।

योजना के प्रमुख घटक :

- **सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास :** इस घटक के अन्तर्गत राज्य स्तर पर एक त्रिस्तरीय संगठनात्मक संरचना परिकल्पित की गयी है। इसके अंतर्गत जहां बस्ती स्तर पर स्व-सहायता समूह बनाए जायेंगे वहीं 10-20 स्व-सहायता समूह आपस में मिलकर क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन (Area Level Federation) तथा 10-20 क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन मिलकर एक नगर स्तरीय फेडरेशन (City Level Federation) का गठन करेंगे। इस संघीय संरचना से बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण, मार्केटिंग, ऋण, मूल्यांकन, हितग्राहियों की पहचान एवं भागीदारी तथा समूहों के निर्माण में सहायता मिलेगी। इस प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए स्त्रोत संगठनों का चयन किया जाएगा। इन कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक शहर में शहरी आजीविका केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित की गई है। इन केन्द्रों का संचालन समुदाय आधारित संस्थाओं, एनजीओ, स्व-सहायता समूह के फेडरेशन आदि के द्वारा होगा।
- **कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार :** इस घटक के अन्तर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षणों के द्वारा उन्नत रोजगार से जोड़ा जाएगा। घटक के उद्देश्य पूर्ति हेतु निम्नानुसार गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी :
  - ❐ बाजार की मांग के अनुसार दक्षता की कमी का विश्लेषण तथा रोजगारोन्मुख व्यवसायों की सूची तैयार करना।
  - ❐ गरीब तथा कमजोर वर्गों के अकुशल प्रशिक्षणार्थियों का चयन।
  - ❐ प्रशिक्षण संस्थाओं का पारदर्शी तरीके से चयन।
  - ❐ पाठ्यक्रम निर्धारण।
  - ❐ प्रमाणीकरण।
  - ❐ प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा छः माह तक सतत् संपर्क।
  - ❐ प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति राशि 15,000 रुपये व्यय प्रस्तावित है।
- **स्वरोजगार कार्यक्रम :** इस घटक के अन्तर्गत व्यक्तिगत एवं समूह उद्यम के लिए ऋण द्वारा वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाएगा।
  - ❐ व्यक्तिगत (रुपये 2.00 लाख) एवं समूह (रुपये 10.00 लाख अधिकतम) ऋण पर बैंकों द्वारा प्रचलित ब्याज दर की जगह मात्र 7 प्रतिशत ब्याज दर देय होगी तथा शेष ब्याज का वहन योजनान्तर्गत किया जाएगा। महिला स्व-सहायता समूहों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाएगा। व्यक्तिगत उद्यमियों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा सुलभ होगी। ऋण अवधि 5-7 वर्ष के लिए प्रस्तावित है।
  - ❐ इस कार्यक्रम के द्वारा 18 वर्ष या अधिक आयु के हितग्राहियों की पहचान नगरीय निकायों के द्वारा प्रस्तावित है। हितग्राहियों को 3-7 दिन तक उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (ओरिएन्टेशन) प्रदान किया जायेगा। कार्यक्रम से लाभ उठाने के लिए कोई न्यूनतम शिक्षा का बंधन नहीं है। इस घटक का प्रबंधन नगर स्तर पर गठित टास्कफोर्स के द्वारा किया जाएगा।
- **क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण :** इस घटक के अन्तर्गत राज्य तथा निकाय स्तर पर मिशन प्रबंधन इकाई का गठन किया जायेगा, जिसमें राज्य स्तर पर 06 तकनीकी विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाएगा तथा निकाय स्तर पर 02-04 विशेषज्ञ जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
- **शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता :** इस घटक में पथ विक्रेताओं की पहचान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा, कौशल उन्नयन (1-2 दिन के प्रशिक्षण), बैंक लिंकेज एवं ऋण सुविधा, पहचान-पत्र, विक्रेता हेतु सुनिश्चित स्थान आदि सुविधाओं से लाभान्वित किया जाएगा। इस घटक पर आवंटन की 5 प्रतिशत राशि व्यय की जाएगी तथा प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति अधिकतम रुपये 750/- का व्यय किया जा सकेगा।
- **शहरी गरीबों के लिए आश्रय योजना :** इस घटक के अंतर्गत सामुदायिक आश्रय भवन का निर्माण कर गरीबों एवं बेघर लोगों के (50-100 व्यक्तियों के लिए) रहने का स्थान एवं मूलभूत सुविधायें (किचन, पानी, शौचालय, बिजली, मनोरंजन आदि) उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसे आश्रय भवन सभी मिशन नगरों में रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, मण्डी आदि के समीप निर्मित किया जाएगा। इन भवनों एवं सुविधाओं का संचालन एवं प्रबंधन, इस कार्य हेतु गठित प्रबंधन समिति/पूर्ण कालिक कर्मचारियों/अन्य के द्वारा किया जाएगा।